15-05-2023

भारत में धार्मिक समूहों के बीच बहुविवाह पर कानून

समाचार पत्रों में क्यों?

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा है कि राज्य सरकार "विधायी कार्रवाई" के माध्यम से बहुविवाह की प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए कदम उठाएगी और इस मुद्दे की जांच के लिए एक "विशेषज्ञ समिति" बनाई जाएगी।

त्वरित मुद्दा?

- बहुविवाह एक से अधिक विवाहित जीवनसाथी-पत्नी या पति होने की प्रथा है। यह मुद्दा व्यक्तिगत कानूनों और भारतीय दंड संहिता (IPC) दोनों द्वारा शासित है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- परंपरागत रूप से, बहुविवाह मुख्य रूप से एक से अधिक पत्नियों वाले पुरुष की स्थिति के रूप में भारत में व्यापक रूप से प्रचलित थी। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 ने इस प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया।
- आईपीसी की धारा 494 द्विविवाह या बहुविवाह (पति या पत्नी के जीवनकाल के दौरान फिर से शादी करना) के लिए किसी एक अवधि के लिए कारावास की अवधि जो सात साल तक बढ़ सकता है, और जुर्माना के साथ दंडित करता है।
- यह प्रावधान उस विवाह पर लागू नहीं होता है जिसे न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया हो उदाहरण के लिए, बाल विवाह - जिसे शून्य घोषित किया गया हो।
- यह कानून तब भी लागू नहीं होता है जब पति या पत्नी "सात साल की अवधि के लिए "लगातार अनुपस्थित" रहे हों।
- स्वतंत्रता के बाद, बंबई और मद्रास सहित प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा द्विविवाह विरोधी कानूनों को अपनाया गया। विशेष विवाह अधिनियम, 1954, एक कट्टरपंथी कानून था जिसने मोनोगैमी की आवश्यकता का प्रस्ताव दिया था विशेष विवाह अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (A) ("विशेष विवाहों के अनुष्ठान से संबंधित शर्तें) की आवश्यकता है कि "विवाह के समय... कोई भी पक्ष एक जीवनसाथी रहता है "।
- संसद ने 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम पारित किया, जिसमें एक समय में एक से अधिक पति-पत्नी होने की अवधारणा को गैरकानूनी घोषित किया गया। हिन्दू विवाह संहिता के तहत बौद्ध, जैन और सिख भी शामिल हैं।

अन्य प्रमुख तथ्य?

भारत में बहुविवाह का प्रचलन

- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण -5 (2019-20) ने दिखाया कि बहुविवाह का प्रचलन ईसाइयों में 2.1%, मुसलमानों में 1.9%, हिंदुओं में 1.3% और अन्य धार्मिक समूहों में 1.6% था।
- आंकड़ों से पता चला है कि बहुपत्नी विवाहों का सबसे अधिक प्रसार आदिवासी आबादी वाले पूर्वोत्तर राज्यों में था। उच्चतम बहुपत्नीत्व दर वाले 40 जिलों की सूची में उच्च जनजातीय आबादी वाले लोगों का वर्चस्व था।

- पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936 ने पहले ही द्विविवाह को गैरकानूनी घोषित कर दिया था।
- इस्लाम में विवाह शरीयत अधिनियम, 1937 द्वारा शासित है। पर्सनल लॉ एक मुस्लिम व्यक्ति को चार पत्नियां रखने की अनुमति देता है।
- मुस्लिम पर्सनल लॉ से लाभ उठाने के लिए, दूसरे धर्मों के कई पुरुष दूसरी पत्नी रखने के लिए इस्लाम में परिवर्तित हो जाते थे।
- 1995 में एक ऐतिहासिक फैसले में, सरला मुद्गल बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द्विविवाह करने के एकमात्र उद्देश्य के लिए धर्म परिवर्तन असंवैधानिक है। इस स्थिति को बाद में 2000 में लिली थॉमस बनाम भारत संघ के फैसले में दोहराया गया था।
- मुसलमानों के लिए बहुविवाह को गैरकानूनी घोषित करने के किसी भी कदम के लिए एक विशेष कानून बनाना होगा जो पर्सनल लॉ सुरक्षा को ओवरराइड करता हो जैसे तीन तलाक के मामले हुआ।

खोई हुई सभ्यता के अवशेष

समाचार पत्रों में क्यों?

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कथित तौर पर मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ राष्ट्रीय में मौजूद एक "आधुनिक समाज" खोई हुई सभ्यता के अवशेष पाए हैं।

त्वरित मुद्दा?

- खोज में मानव निर्मित जल निकाय और पेंटिंग मिली हैं जो हजारों साल पुरानी बताई जाती हैं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- सभ्यता लगभग 1800-2000 वर्ष पुरानी बताई गई है, कहा जाता है कि इसका जीर्णोद्धार लगभग 1000 वर्ष पूर्व हुआ था।
- ये संरचनाएं हिंदू या बौद्ध संरचनाएं होने के कारण, एक आधुनिक डिजाइन की अवहेलना नहीं करती थीं क्योंकि उनमें से प्रत्येक पत्थर की नक्काशी थी और व्यापारी अपने व्यवसायों के विस्तार के लिए गुजरते थे।
- पुरातत्वविदों को चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफा में चित्र मिले हैं। चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं मानव गतिविधि का सुझाव देती हैं, और गुफा के अंदर पाए गए चित्रों से पता चलता है कि ये मात्र संयोग से नहीं बनाए गए थे, बल्कि जानबूझकर गुफाओं के अंदर रखे गए थे।
- एएसआई ने पता लगाया है कि देखे गए अवशेष एक खोई हुई आधुनिक सभ्यता के थे जो मध्य प्रदेश में मौजूद थे।
- यहां की एक और बड़ी खोज मानव निर्मित जलाशयों की खोज थी ।इससे पता चलता है कि उस समाज के लोगों को जल प्रबंधन का उन्नत ज्ञान था और ये जल निकाय कृषि, मछली पकड़ने, परिवहन और धार्मिक समारोहों जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए बनाए गए होंगे।

ग्रीनवाशिंग

समाचार पत्रों में क्यों?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा कि वह ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क (GFIN) के पहले ग्रीनवॉशिंग टेकस्प्रिंट में 12 अंतरराष्ट्रीय नियामकों के साथ शामिल होगा, जो नियामकों की मदद करने के लिए एक उपकरण विकसित करेगा और बाजार प्रभावी रूप से वित्तीय सेवाओं में ग्रीनवॉशिंग के जोखिमों से निपटेगा।

त्वरित मुद्दा?

- टेकस्प्रिंट 5 जून से शुरू होगा और सितंबर में समाप्त होकर तीन महीने तक चलेगा।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- ग्रीनवॉशिंग शब्द का प्रयोग पहली बार वर्ष 1986 में एक अमेरिकी पर्यावरणविद् और शोधकर्त्ता जे वेस्टरवेल्ड द्वारा किया गया था।
- ग्रीनवॉशिंग कंपनियों और सरकारों की गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला को पर्यावरण के अनुकूल के रूप में चित्रित करने का एक अभ्यास है, जिसके परिणामस्वरूप उत्सर्जन से बचा या इसे कम किया जा सकता है। इनमें से कई दावे असत्यापित, भ्रामक या संदिग्ध होते हैं।
- हालाँकि यह संस्था की छवि को बेहतर करने में मदद करता है, लेकिन वे जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध लड़ाई में किसी प्रकार का विशेष सहयोग नहीं करता है।
- शेल और BP जैसे तेल दिग्गजों तथा कोका कोला सहित कई बहुराष्ट्रीय निगमों को ग्रीनवॉशिंग के आरोपों का सामना करना पड़ा है।
- ग्रीनवॉशिंग जलवायु परिवर्तन से निपटने के संदर्भ में प्रगति और विकास के गलत आँकड़े पेश करता है विश्व को आपदा की ओर अग्रसर करते हैं। इसी के साथ यह गैर-जिम्मेदार व्यवहार के लिये विभिन्न संस्थाओं को पुरस्कृत भी करता है।
- केंद्रीय बैंक ने यह देखा है कि 'ग्रीन' के रूप में विपणन किए जाने वाले निवेश उत्पादों की संख्या बढ़ रही है।
- पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन की साख के बारे में अतिशयोक्तिपूर्ण, भ्रामक या निराधार दावे उत्पादों में विश्वास को नुकसान पहुंचाते हैं और आरबीआई यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उपभोक्ता और कंपनियां उन उत्पादों पर भरोसा कर सकें जो उनके द्वारा किए गए दावे सत्य हैं।

नए सीबीआई निदेशक की नियुक्ति

समाचार पत्रों में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त चयन समिति ने रविवार 14 मई को आईपीएस प्रवीण सूद को दो साल की अवधि के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) का निदेशक नियुक्त किया। वे कर्नाटक के डीजीपी पद पर कार्यरत थे।

त्वरित मुद्दा?

- कैबिनेट की नियुक्ति समिति को भेजे गए शॉर्टलिस्ट किए गए नाम थे: प्रवीण सूद, डीजीपी (कर्नाटक); सुधीर कुमार सक्सेना, डीजीपी, मध्य प्रदेश; और ताज हसन, महानिदेशक, अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- सीबीआई निदेशक की नियुक्ति दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम (1946) के तहत प्रावधानों और उसमें लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 द्वारा लाए गए संशोधनों के अनुसार की जाती है।
- नियुक्ति केंद्र द्वारा तीन सदस्यीय नियुक्ति समिति की सिफारिश पर की जाती है।
- नियुक्ति समिति में अध्यक्ष के रूप में प्रधान मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता (LoP) और भारत के मुख्य न्यायाधीश, या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल होते हैं ।यदि कोई मान्यता प्राप्त विपक्ष का नेता नहीं है, तो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता को समिति में शामिल किया जाता है।
- केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 ने सीबीआई निदेशक का कार्यकाल 2 वर्ष निर्धारित किया।
- शीर्ष अदालत ने 2019 के एक आदेश में कहा था कि सीबीआई प्रमुख के पद के लिए छह महीने से कम के कार्यकाल वाले किसी भी अधिकारी पर विचार नहीं किया जा सकता है।
- अदालत ने यह भी फैसला सुनाया था कि निदेशक को '2 साल से कम' के लिए कार्यालय में नही भेजा जाएगा और नियुक्ति समिति की सहमति से ही स्थानांतरित किया जा सकता है।